संक्षिप्त

औद्योगिक भूखण्डों की होगी नीलामी

अलवर, (निसं)। रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घीलोठ में निगम द्वारा एमनेस्टी योजना एवं व्यापार संवर्धन औद्योगिक शिविर का आयोजन 28 जुलाई को प्रात: 10 बजे से सांय 5 बजे तक फेनियर कम्पनी भूखण्ड संख्या एफ-9 औद्योगिक क्षेत्र घीलोठ के परिसर में किया जाएगा।
रीको लि. घीलोठ के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक ने बताया कि शिविर में औद्योगिक क्षेत्र घीलोठ के सामान्य जोन में 12 औद्योगिक भूखण्ड व ग्लास एवं सिरामिक जोन के 10 औद्योगिक भूखण्ड की नीलामी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन भूखण्डों के लिए 2 अगस्त सांय 6 बजे तक अमानत राशि जमा कराई जा सकती है तथा 3 अगस्त से 5 अगस्त तक बोली लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि शिविर में रीको के अधिकारियों द्वारा वर्तमान में चल रहे औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन हेतु ई-नीलामी एवं विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी एवं एमनेस्टी स्कीम के तहत विभिन्न मदों में छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि इच्छुक उद्यमी रीको की वेबसाइट के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं।

ग्राम पंचायत पनियाला सम्मानित

कोटपूतली, (निसं)। जनसंख्या नियंत्रण व स्थायित्व के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने पर कोटपूतली पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत पनियाला को परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरूस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। शुक्रवार को राजधानी जयपुर में उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आयोजित हुए जिला स्तरीय समारोह में निदेशक आरसीएच डॉ. के एल मीणा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरोत्तम शर्मा, उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रवीण झारवाल ने ग्राम पंचायत पनियाला के सरपंच लक्ष्मण रावत व पनियाला उपस्वास्थ्य केन्द्र की एएनएम मुन्नी कुमारी को 50 हजार रूपये प्रशस्ती पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

कार्रवाई से असामाजिक तत्वों में हड़कंप

रामगढ पचवारा, (निसं)। थाना पुलिस को स्थानीय छात्राओं व महिलाओं द्वारा रास्ते में घूमने वाले आवारा एवं असामाजिक तत्वों द्वारा गलत तरीके से व अभद्रता करते हुए परेशान करने की शिकायत थाना अधिकारी दिनेश मीणा को की गई थी। इसके बाद रामगढ पचवारा थाना पुलिस द्वारा सख्ती बरतने के बाद हुई पुलिस कार्रवाई से असामाजिक तत्व एवं आवारा घूमने वाले ऐसे तत्व जो महिलाओं एवं छात्राओं से छेडखानी करते थे उनमें भय का माहौल एवं हडकंप मचा हुआ है। थाना अधिकारी ने कहा कि कोई भी असामाजिक तत्व या अन्य कोई व्यक्ति महिलाओं व छात्राओं के साथ गलत व्यवहार करें तो बिना हिचकिचाहट के संबंधित की सूचना समय रहते पुलिस को दे ताकि ऐसे लोगों पर कडी कार्रवाई हो सके।

मंत्री परसादी लाल तीन दिवसीय दौरे पर

लालसोट, (निसं)। स्थानीय विधायक एवं प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा शनिवार से तीन दिवसीय लालसोट विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मीणा के निजी सहायक श्यामसुंदर मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा मंत्री शनिवार को करीब 5 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन्दावा में आरओ प्लांट व वाटर कूलर का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन इंदावा ग्राम में ही रोड लाइट का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं रविवार 24 जुलाई को चिकित्सा मंत्री मीणा मंडावरी स्थित निवास पर सुबह जन सुनवाई करेंगे। चिकित्सा मंत्री मीणा 25 जुलाई सोमवार को मंडावरी एवं लालसोट स्थित नगर पालिका में चल रहे प्रशासन शहरों के संग तृतीय चरण के अभियान का निरीक्षण भी करेंगे।

युवाओं ने पौधरोपण एवं रक्तदान किया

कोटपूतली, (निसं)। भाजपा नेता मुकेश गोयल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा सप्ताह के अन्तर्गत ग्राम छारदडा में कार्यकर्ताओं ने कन्या विद्यालय में पौधरोपण किया। इसमें ग्रामीणों ने अलग अलग प्रकार के 11 पौधों का पौधरोपण किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी लेकर उनका पालन पोषण करने का आग्रह किया। वहीं दूसरी और ग्राम फतेहपुरा कलां निवासी जितेन्द्र यादव पुत्र रामजीलाल यादव ने भाजपा नेता मुकेश गोयल के सेवा सप्ताह के अन्तर्गत स्थानीय कृष्णा अस्तपाल स्थित श्री कृष्णा ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान किया।

चबराना पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने फांसी लगाई, पुलिस जांच में जुटी

मालपुरा, (निसं)। चबराना ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी भैरूलाल गुर्जर ने शुक्रवार की दोपहर को मालपुरा शहर के सांवरकर सर्किल के पास बिलायती बम्बूल से फांसी का फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव को फंदे से उतार मालपुरा अस्पताल में मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया।

मामले के अनुसार शुक्रवार की शाम जरिए दूरभाष के मालपुरा थाना

■ **सांवरकर सर्किल के पास बिलायती बम्बूलों में पेड़ से लटका मिला शव**

पुलिस को अज्ञात व्यक्ति की सूचना देते हुए बताया कि सांवरकर सर्किल के पास बम्बूलों में एक युवक पेड पर फांसी के फंदे से लटका हुआ है। सूचना पर थानाधिकारी कैलाश विश्नोई मय जाप्ते के मौके पर पहुंच

थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव फंदे से उतार मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

शव को पुलिस सुरक्षा में ले जेब में मिले दस्तावेजों के आधार पर परिजनों व मालपुरा पंचायत समिति विकास अधिकारी महेन्द्र गुप्ता को सुचना दी। सुचना पर घटना स्थल पर पहुंचे गुप्ता ने बताया कि शुक्रवार को पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारियों की आवश्यक बैठक बुलाई गई थी तथा एसडीएम कार्यालय मे भी एसडीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक होनी थी जिसके लिए चबराना ग्राम विकास अधिकारी भैरूलाल गुर्जर पुत्र लादू गुर्जर निवासी नयाटीला थाना पीपलू को अनुमानित 10-11 बजे दूरभाष पर सूचना दी गई तो उसने स्वंय को तनाव में होने की बात कहकर फोन बंद कर लिया। तकरीबन शाम को 6 बजे सांवरकर सर्किल के पास बम्बूलों मे भैरू गुर्जर का शव पेड से लटका मिला। मृतक भैरू गुर्जर 2 साल पूर्व अपने पिता की मौत के बाद मृत राज्य कर्मचारी कोठे से राजकीय सेवा मे ग्राम विकास अधिकारी का पद सम्भाला था। सुचना पर पहुंचे परिजनो की उपस्थिति मे शव को फांसी के फंदे से उतार मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी मे रखवाया गया। फिलहाल युवक द्वारा आत्महत्या किये जाने के कारणो की जांच की जा रही है।

स्कूल भवन की व्यवस्था के आदेश पारित

बहरोड/नीमराना, (निसं)। नीमराणा के नवघोषित महाविद्यालय के लिए काफी प्रयासों के बाद भी अस्थाई भवन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। जिसको प्राथमिकता से संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रदूत समाचार पत्र में निरंतर खबरें चलाई गई।

जिसके परिणामस्वरूप 20 जुलाई को नीमराणा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरिता यादव ने मीटिंग में नीमराणा एसडीएम मुकुट सिंह को मामले से अवगत करा नीमराना के नजदीकी राजकीय सीनियर सैकेंडरी स्कूल माजरी कलां के भवन में अस्थाई रूप से राजकीय महाविद्यालय नीमराणा के लिए भवन की व्यवस्था के आदेश पारित किए गए। माजरी कलां के सीनियर सैकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने भवन उपलब्ध करवाने का पूरा सहयोग किया जिसके तहत 22 जुलाई को नोडल प्रभारी विनय सिंह यादव ने मौके पर पहुंचकर 5 कमरों का निरीक्षण कर बानसूर महाविद्यालय के प्रिंसिपल तथा आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को नव घोषित राजकीय महाविद्यालय नीमराणा के लिए अस्थाई भवन उपलब्ध होने की सूचना प्रेषित करते हुए जानकारी दी।

खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए शिविर 26 जुलाई को

टोंक, (निसं)। फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं खुदरा विक्रेता संघ उनियारा के तत्वाधान में 26 जुलाई को एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि खाद्य पदार्थ लाइसेंस बनवाने, नवीनीकरण एवं उससे संबंधित समस्याओं के बारे में एक दिवसीय कैम्प का आयोजन रघुनाथ जी का मन्दिर, उनियारा में रखा गया है, जिसमें सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार यादव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गुर्जर की उपस्थिति रहेगी। शिविर का समय प्रात: 10 से 5 बजे तक रहेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदन लाल गुर्जर ने बताया कि षिविर मे सभी आवश्यक दस्तावेज अवश्य साथ लावें। आवश्यक दस्तावेज 1 किराया नामा (यदि दुकान किराये की है तौ), नक्शा, फोटो, पहचान पत्र, दुकान खुद की है तो बिजली का बिल, आयकर रिटर्न विगत तीन वर्ष का, पचास रुपए का स्टाम्प फर्म के नाम आदि एवं रजिस्ट्रेशन में रिटर्न के अलावा सभी दस्तावेज लाना अनिवार्य है। शिविर में लाइसेंस से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जायेगा, जैसे लाईसैंस नवीनीकरण, कोई संशोधन और मोडिफिकेशन, प्रोपराइटर का नाम परिवर्तन, टर्न ओवर से संबंधित समस्या, जिसका लाइसेंस रिनीवल मैं 6 माह तक समय शेष है, उनका नवीनीकरण भी शिविर में किया जायेगा। उनकी वेलीडिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा पहले वाली तारीख रहेगी।

In The Court of II Additional Principal Judge Family Court, District Court, Jabalpur
Presiding Officer : श्रीमती विधि सक्सेना
आदेश 5 नियम 20व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु
RCS HM/0000433/2022
अजय कुमार गुप्ता.....वादी
Vs
श्रीमती पूजा कुमारी गुप्ता पटवा......प्रतिवादी
Process Id/2022
पेशी दिनांक 13/-9/2022
प्रेषिती-
(1) श्रीमती पूजा कुमारी गुप्ता पटवा पति अजय कुमार गुप्ता पता-4 एच 24
गांधी कुटीर भिवाड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान 301019
यह की प्रार्थी अजय कुमार गुप्ता ने आपके विरुद्ध धारा 13(1)(i क)(i ख) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिए उपसंजात हाजिर होने के लिए सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीटासीन अधिकारी को अवगत करायें।
आज तारीख 19 जुलाई 2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायालय की मुद्रा न्यायाधीश
टिप्पणी:उपस्थिति हेतु (श्रीमती विधि सक्सेना)
साधारण एवं रजिस्टर्ड द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायालय
नोटिस जारी कुटुंब न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश

कार्यालय नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.
क्रमांक-नपाश्रीमा./2022-23/1859-60 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक-21.07.2022
श्री लालचन्द पंजाबी पुत्र स्व.श्री खेमचन्द पंजाबी निवासी वार्ड नम्बर 30 पंजाबी मोहल्ला कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार आवासीय प्रयोजनार्थ के लिये ऐसी भूमि के उपयोग के लिये पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिये नगर पालिका के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	वार्ड/कॉलोनी/गली का नाम	पडौस द्वारा सीमाबद्ध भू-खण्ड सं.	उत्तर दिशा दर्शित करते हुए लम्बाई और चौडाई सहित क्षेत्र (मीटर में)
नगर पालिका श्रीमाधोपुर (सीकर)	वर्तमान वार्ड नं. 30 पंजाबी मोहल्ला श्रीमाधोपुर	चर्तुसीमाऐं निम्न प्रकार से है पूर्व दिशा में मकान व बाडा खेमचन्द का, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में गली व दक्षिण दिशा में मकान रोशन तेली का मकान अवस्थित है।	मकान आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु जिसकी नाप पूरब से पश्चिम 42 फुट 6 इंच व उत्तर से दक्षिण 32 फुट 6 कल क्षैत्रफल 153.47 वर्गगज या 128.32 वर्गमीटर है।

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा-69क के अधिन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगर पालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिन के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा।
उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार निपटारा किया जायेगा।
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21.07.2022 को जारी की गयी।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका श्रीमाधोपुर

कार्यालय नगर पालिका मण्डावरी (दौसा)
क्रमांकः-नपाय/2022/1504 दिनांक 22-7-22
आपत्ति आमंत्रण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के तृतीय चरण के दौरान 69-ए पट्टे/ नवीनीकरण/ पट्टा स्थानान्तरण/ पूर्ण स्वामित्व पट्टा प्राप्त करने के लिए पत्रावलिया प्राप्त हुई है उक्त पत्रावलियों में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो अंदर मियाद 7 दिवस में मय लिखित सबूत पालिका में अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें अन्यथा वाद मियाद कोई उज्रदारी मान्य नहीं होगी।
अतः सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधिन आज दिनांक 22.7.22 को जारी की है।

क्र. स.	आवेदक का नाम नाम	मौहल्ला /वार्ड	क्षेत्रफल वर्गगज में
1.	श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री श्याम सुंदर शर्मा	सब्जी मंडी	100.09
2.	श्री जगराम मीना पुत्र श्री रामचन्द्र मीना	कच्ची सड़क	80
3.	श्री रामचरन राना पुत्र श्री बंसीलाल राना	नाईयों का मौहल्ला	99.54
4.	श्री रामबाबू गोयल पुत्र श्री लोटू राम गोयल	सोनी मौहल्ला	150
5.	श्री रामावतार शर्मा पुत्रश्री काशीराम मिश्र	सोनी मौहल्ला	24.44
6.	श्री कैलाश, कमलेश बैरवा पुत्रश्री भौरी लाल बैरवा	बैरवा मौहल्ला	109.32
7.	श्रीमती धापा देवी पत्नी श्री छोटा लाल रैगर	रैगर मौहल्ला	187.66
8.	श्रीमती धाखा देवी पत्नी श्री छीतरमल रैगर	रैगर मौहल्ला	31.66
9.	श्री छीतरमल रैगर पुत्र श्री भौरया रैगर	रैगर मौहल्ला	128.07
10.	श्री चिरंजी लाल बैरवा पुत्र श्री सीताराम बैरवा	बैरवा मौहल्ला	83.95
11.	श्री गंगा विशन माली पुत्र श्री रामसहाय माली	पीर पाछला माली की ढाणी	113.33
12.	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री लोडूराम महाजन	बजाज मौहल्ला	118.62
13.	श्री पप्पू खान पुत्री श्री उल्ली खान	कचहरी मौहल्ला	165.38

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, मण्डावरी

46 साल बाद वास्तविक मालिक को दुकान का कब्जा मिला

सांभरझील,(निसं)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही ठहराते हुए 46 साल से लंबित चले आ रहे एक मामले का निस्तारण कर उसके वास्तविक मालिक को संपत्ति सुपुर्द करने के आदेश दिये। पीडित पक्ष के वकील योगेश चावला ने बताया कि किशनगढ रेनवाल निवासी मदनलाल से दुलीचंद सोनी ने वर्ष 1976 में एक मकान खरीदा था। मकान के बाहर तीन दुकानें निर्मित थी।

इन दुकानों में से एक दुकान पर लुकमान नाम के किराएदार ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे उसकी ओर से दुकान को खाली नहीं किया जाने पर सांभर न्यायालय में एक वाद पेश किया गया था। दुलीचंद के एक्स पार्टी होने के बाद लुकमान ने रातों-रात दुकान का पजेशन अन्यत्र व्यक्ति को सौंप दिया। इसके बाद दुलीचंद की तरफ से सांभर विचारण न्यायालय में रामदयाल के विरुद्ध दावा पेश किया। इसी बीच रामदयाल की मृत्यु हो गई और उसका वारिस बन ओमप्रकाश मुकदमा लडने लगा। विचरण न्यायालय ने समस्त तथ्यों और दस्तावेजों को मद्देनजर रखते हुए दुलीचंद के पक्ष में आदेश कर दावा उसके पक्ष में डिक्री कर दिया। इस आदेश के खिलाफ ओमप्रकाश ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सांभर में अपील पेश की। उक्त अपील को भी एडीजे ने 5 फरवरी 2020 को खारिज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। उक्त अपील के विरुद्ध ओमप्रकाश ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में द्वितीय अपील पेश की। इस अपील पर दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जयपुर ने 46 साल से चले आ रही विवादित बिंदु को समाप्त करते हुए ओमप्रकाश द्वारा अपने पक्ष में पेश किए गए दावे दस्तावेजों को झूठा करार देते हुए विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय को सही मानते हुए दुकान को उसके वास्तविक मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिये। दुलीचंद सोनी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में सांभर के युवा अधिवक्ता योगेश चावला की ओर से पैरवी की गई।

स्कूल भवन का विधायक ने लोकार्पण किया

खैरथल, (निसं)। समीपवर्ती वल्लभग्राम में पहाडी की तलहटी में शिक्षिका के संकल्प से निर्मित स्वामी लीलाशाह राप्रा विद्यालय भवन का शनिवार को किसान आयोग के उपाध्यक्ष एवं विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता किशनगढबास पंचायत समिति के प्रधान बीपी सुमन ने की। इस अवसर पर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ओमप्रकाश रोघा, सरपंच प्रतिनिधि डा फारुक खान, मुखी अशोक गुरनानी, मुखी वासदेव दासवानी, धीरज गुरनानी जसवंत सिंह आर्य, शिवचरण गुप्ता, हीरालाल चौधरी, दीपक गूरनानी, पार्षद करणसिंह चौधरी, मनोज बुराहडिया, कामरेड रामचन्द्र जाटव, पार्षद नारायण छंगाणी, रिंकी प्रजापत, राकेश कुमार एवं स्टाफ मौजूद रहे। संयोजक पार्षद जाजन मूलानी ने बताया कि स्वामी लीला शाह कुटिया के पास हरिजन

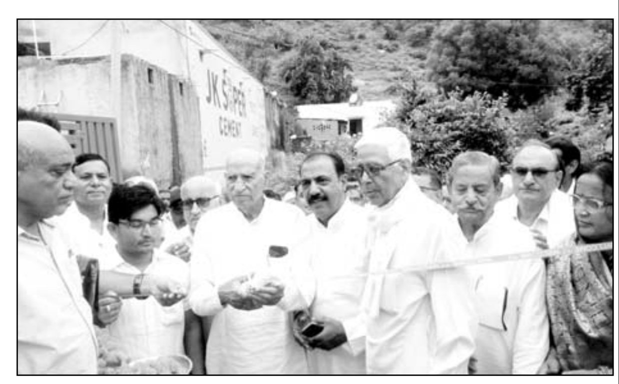

स्वामी लीलाशाह राप्रा स्कूल भवन का विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा फीता काटकर लोकार्पण किया गया।

बस्ती में श्रीराम जी के मकान के एक कमरे में संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सेवारत शिक्षिका ऊषा शर्मा ने दलित परिवारों के बच्चों को पक्का स्कूल भवन दिलाने का संकल्प लेकर प्रयास शुरू किए जिसमें पहली सफलता तब मिली जब समाजसेवी हेमराज मूलानी जाजन की धर्मपत्नी गंगा मूलानी द्वारा अपनी बहन स्वर्गीय निशा मूलानी की स्मृति में स्कूल भवन के लिए पर्याप्त भूमि दान में दी। भूमि होने पर सरकार द्वारा साठ लाख रुपए की लागत से भवन निर्माण कराने में भी सफलता हासिल की।

पुलिस जाब्ते को देखकर खनन माफिया भागे, मौके से जेसीबी जप्त

बस्सी, (निसं)। बस्सी इलाके में भी लम्बे समय से चल रहे अवैध खनन के संदर्भ में लोगों की शिकायतों एवं हाईकोर्ट में जनहित याचिका की सुनवाई के बाद अवैध खनन को रोकने के लिए शुक्रवार सुबह पुलिस व प्रशासन सख्त मोड में दिखा। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जयपुर अवनीश शर्मा के नेतृत्व में पुलिस व खनन विभाग ने संयुक्त रूप से अवैध खनन रोकने के लिए अभियान चलाया है।

अभियान के तहत टीम ने घाटा, बैनाडा, हरडी, कुथाडा गांव के पहाडी क्षेत्र में होने वाले अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस व खनन विभाग की टीम को देखकर खनन माफियाओं में हडकंप मच गया। पुलिस टीम को देखकर खनन माफिया मौके से भाग छूटे। सर्च अभियान के

सर्च अभियान के तहत टीम को केवल एक जेसीबी मशीन ही हाथ लगी जिसे टीम ने मौके से जब्त कर लिया है।

तहत टीम को केवल एक जेसीबी मशीन ही हाथ लगी जिसे टीम ने मौके से जब्त कर लिया है। अवनीश शर्मा ने बताया कि पुलिस व खनन विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र में पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं ताकि खनन माफिया के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। इस दौरान बस्सी एसीपी मेघचन्द मीणा के साथ बस्सी, कानोता, खो नागोरिया समेत अन्य थानो का पुलिस जाब्ता भारी संख्या मौजूद रहा।

जेसीबी से केबिन में फंसे चालक-परिचालक को निकाला

जयपुर/कानोता, (निसं)। कानोता थाना इलाके के शहीद की पुलिया के पास खडे ट्रक में पीछे से दूसरा ट्रक जा घुसा। हादसे में ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षितठास्त हो गया तथा ट्रक के चालक-परिचालक क्षतिग्रस्त केबिन में फंस गए। दुर्घटना में चालक और परिचालक बुरी तरह से घायल हो गए।

जानकारी मिलने पर जेसीबी को मौके पर बुलाकर ट्रक के केबिन को सही किया गया। जिसके बाद दोनों घायलों को बाहर निकाला गया। 108 की सहायता से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि घायलों ने अपना नाम लाहोरी निवासी चालक शिवपाल यादव और खलासी मुकेश बताया। ये दोनों ट्रक लेकर जयपुर से कानपुर की ओर जा रहे थे। यहां कानोता इलाके में पहुंचने पर खडे ट्रक में उनका ट्रक पीछे से जा घुसा। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों केबिन में फंस गए। हाइवे पेट्रोलिंग टीम के देरी से पहुंचने पर ग्रामीणों ने रोष जताया। वहीं दो घंटे बाद मौके पर पहुंची कानोता थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को रोड के साइड में लगाकर ट्रैफिक सुचारू करवाया।

सी-डैक | प्रगत संगणन विकास केंद्र
CDAC | CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING
प्रवेश सूचना पूर्णकालिक(फुल टाइम) एम.टैक 2022
स्पेशलाइजेशन (विशेषज्ञता)
- साइबर सुरक्षा
- एम्बेडिड सिस्टम
- आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स
- वीएलएसआई डिजाइन

- गेट क्वालिफाइड और एससी/ एसटी /ओबीसी के लिए नियमानुसार स्कॉलरशिप उपलब्ध है
- लड़कियों और लड़कों के लिए नाम मात्र शुल्क पर छात्रावास (होस्टल) में रहने के लिए सुविधा उपलब्ध है
- लाइव प्रोजेक्ट्स : सरकार द्वारा वित्त पोषित लाइव परियोजनाओं पर काम करने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं

प्रवेश सहायता लाइनें : 0172-6619072, 0172-6619078, 0172-6619082
हेडः शैक्षणिक परामर्श और सेवा विभाग | मोबाइल: +91- 9888000646
ईमेल: acsdcofficial@gmail.com, mtech-mohali@cdac.in
पंजीकरण, पात्रता, फीस और अन्य जानकारी के लिए www.acsd.ac.in पर जाएं
(संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वैज्ञानिक संस्था, भारत सरकार)
ए-34, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-8, मोहाली, भारत-160071 | फैक्स: +91-172-2237050-51 | www.cdac.in
CBC 06134/12/0001/2223

जायज काम के लिए अनावश्यक चक्कर लगवाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी : मंत्री रावत

अलवर, (निसं)। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुन्तला रावत ने शुक्रवार को सर्किट हाउस अलवर में जनसुनवाई की। मंत्री रावत ने जनसुनवाई में जिलेभर से आए आमजन की परिवेदनाओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को दूरभाष से समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने निर्देश दिये कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आमजन को जायज काम के लिए अनावश्यक चक्कर लगवाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जनसुनवाई में आए आमजन से राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जागरूक रहकर लाभ उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पट्टों का हक देने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया हुआ है। इसके तहत लगाए जा रहे शिविरों में जाकर लाभ उठाए। मंत्री रावत सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर रही थी। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि दिव्यांग नेहा

मंत्री शकुंतला रावत ने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की।

खत्री अपनी परिवेदना लेकर आई है। इस पर मंत्री ने सर्किट हाउस से बाहर आकर दिव्यांग नेहा की परिवेदना को सुना।

दिव्यांग नेहा ने रावत को अवगत कराया कि वह रा.उ.मा.वि अचलपुरी में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है तथा पिछले 5 माह से उसे वेतन नहीं मिला है। फरियादी ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान पति की मृत्यु कोविड संक्रमण के कारण हो गई थी जिसके चलते परिवार की समस्त जिम्मेदारियां उस पर आ गई है। वेतन नहीं मिलने से काफी परेशानी हो रही है।

इस पर मंत्री रावत ने मौके पर

■ **आमजन की परिवेदनाओं को सुन संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश**

ही जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राकेश शर्मा को फोन कर नाराजगी जाहिर करते हुए फरियादी का बकाया 5 माह का वेतन अधिकतम 5 दिन में जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि स्थायीकरण की कार्यवाही भी शीघ्र पूर्ण करावे। उन्होंने दिव्यांग नेहा को विश्वास दिलाया कि उनका इच्छित स्थान पर स्थानांतरण करवाया जाएगा। इस दौरान गेंदाराम गुर्जर, भौरेलाल बागडी, भवानी सैनी, रमेश अम्बावत, सुरेश मीणा, मुकेश सैनी, रणबीर डोई, पवन योगी, सरजीत यादव, पूर्ण भूमला, रमेश जुनेजा सहित आमजन एवं प्रबुद्ध व्यक्ति उपस्थित थे।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित)
IDFC FIRST Bank
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

परिशिष्ट-IV [नियम 8 (1)]
कब्जा नोटिस
(अचल सम्पत्ति का)
चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आई डी एफ सी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मेलित) के प्राधिकृत अधिकारी है अतः वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुर्न निर्माण एवं प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा उपर्युक्त कथित अधिनियम की धारा 13 (12) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17.04.2021 को एक मांग नोटिस कर्जदारों, सह-कर्जदारों एवं जमानतियों 1. कनिष्क बुटीक एण्ड साडी, अजय गोयल, 2. श्री अजय गोयल, 3. श्री नुपुर अग्रवाल को जारी किया गया था, जिसमें 12.04.2021 की तिथी को एक मांग नोटिस उल्लेखित राशी रूपये 57,00,186.67/- (रूपये सत्तावन लाख एक सौ छियासी और पैसे सडसठ मात्र) का भुगतान उपर्युक्त निर्दिष्ट नोटिस प्राप्ती से 60 दिन के अन्दर करने को कहा गया था।
चूंकि कर्जदार उक्त राशि को वापस चुकाने में विफल रहे है अतः कर्जदारों एवं जनसाधारण को नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 जिसका नोटिस में उल्लेख किया गया है के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने यहां निम्न वर्णित संपत्तियों के आज जुलाई 2022 के 21वें दिन भौतिक रूप से अपने कब्जे/अधिकार में ले लिया है।
विशेष रूप से कर्जदारों एवं आम जनता को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे इन सम्पत्तियों का सौदा लेनदेन नहीं करें तथा इस सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से खरीद-बिक्री करने पर उसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित) की प्रभारित शर्तों के अधीन राशि रूपये 57,00,186.67/- (रूपये सत्तावन लाख एक सौ छियासी और पैसे सडसठ मात्र) का भुगतान उस पर प्रभारित ब्याज सहित करना होगा।
कर्जदारों का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रतिभूतिकृत सम्पत्तियों को मुक्त करने के बारे में उपलब्ध समयावधि का उल्लेख है।
अचल सम्पत्तियों का विवरण
सम्पत्ति कमरा नं.201, क्षेत्रफल 385 वर्गफिट, दूसरी मंजिल विमल चैम्बर्स काम्पलेक्स, प्लाट नं. 176, मेहन्दियों का चौक, रास्ता हल्दियान नगर, हवाली घाट दरवाजा, जयपुर, राजस्थान-302003 का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- उत्तर-मेहन्दी वालों का चौक, दक्षिण-रोड और प्रवेश द्वारा, पूर्व-गन्दी गली, पश्चिम-गन्दी गली
दिनांक- 21.07.2022
स्थान- जयपुर
ऋण खाता संख्या- 14042384
प्राधिकृत अधिकारी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व नाम केपिटल फर्स्ट लिमिटेड व आईडीएफसी बैंक के साथ सम्मेलित)